19/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
वकील अपीलांट ने यह दर्शित किया कि प्रत्यर्थी
प्रोफार्मा पक्षकार सं० 6 से 9 के विरुद्ध उनके कोई
अनुतोष नहीं चाहिए। इस आशय की टिप्पणी हाशिये
पर अंकित कर उनके नीचे हस्ताक्षर किये गए हैं। शेष
प्रत्यर्थीगण की ओर से वकील श्री रोशनलाल उपस्थित।
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण
ने अपील पर बहस की। वकील अपीलांट का कथन
है कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 212
RT Act के अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर बताया कि
बादशाह भूमि प्रत्यर्थीगण। से 4 व अन्य अपीलार्थीगण के
साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 1146 व 1146 है।
इनमें से बेजा की गई भूमि गलत हिस्सा दर्शाया
की गई है। पत्रावली जवाब हेतु चल रही थी परन्तु
प्रश्न पेशी दि. 5.6.2018 की बजाय इससे पूर्व ही दिनांक
21.5.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में
बिना अपीलार्थीगण को नोटिस तामील करवाये/सुनिश्चित किये
पत्रावली को रखकर उनकी गैर मौजूदगी में अपीलार्थीगण
का जवाब बंद कर प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के प्रार्थना-पत्र को
स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर आलोच्य आदेश
दि. 21.5.2018 को पारित किया जिसमें विधिक भूल की गई है।
अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत
होने से. काबिल खारिज है। अपीलार्थी अनोपाराम द्वारा भूमि
को जरिये पंजीकृत बेचाननामा के एक रेकार्डेड काबिज
काश्तकार खातेदार से खरीद की है तथा अपना स्वयं रिकॉर्ड
काश्तकार खातेदार होकर कब्जा काश्त है। एक
खातेदार द्वारा संग्रहण करने के अनुसार कब्जा काश्त
पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना किसी तरह की
कोई अधिकार प्रत्यर्थीगण को उत्पन्न नहीं होता है इस
कारण से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उनके
विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती जब
तक कि उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं कर
दिया जाता। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने
से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन

P.T.O

प्रत्यर्थी प्रफोर्मा
नि. 6 से 9 के विरुद्ध
कोई अनुतोष नहीं
चाहिए।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना-पत्र को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए पारित किया है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा तामीलना दावा निस्तारण तक दी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विस्तृत विश्लेषण किये अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में विधि द्वारा स्थापित तीनों बिंदुओं – सुविधा का संतुलन, प्रथमदृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति के बिंदुओं को पृथक-2 निर्धारित नहीं किया है जिससे अपीलाधीन आदेश विधि की दृष्टि में एक स्पीकिंग और समुचित आदेश नहीं है। इस दृष्टि से भी अपीलाधीन आदेश काबिले खारिज है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमावें।

रेस्पाडेंट अधिवक्ता ने बहस करते हुए अपीलांट के कथनों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 फौत हो गए हैं जिनके विधिक वारिसान को अपील में प्रोफार्मा पक्षकार रूप में प्रत्यर्थी सं. 6 से 9 (9 भी लावल्द फौत) बनाया गया है जिन्हें निचली अदालत में सुनवाई का अवसर मिलना है अत: मामला रिमाण्ड किया जाता है तो उचित रहेगा। सहखातेदार आईदानसिंह द्वारा जो हिस्सा वादग्रस्त भूमि में अपना दर्शाकर विक्रय किया है वह सही नहीं है। उसका हिस्सा 1/32 की बजाय 1/48 ही बनता है। उसने अपने हिस्से से अधिक बेचान कर दिया है अपीलार्थी यदि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि के बाद कब्जुड़ा भूमि का हस्तांतरण कर देता है तो रेस्पोडेंट को अपूरणीय क्षति होगी। मामला रिमाण्ड किये जाने की सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 28-7-2016 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जावे कि वह मामले का शीघ्र निस्तारण करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अभिलेख देखा गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया गया है। आलोच्य आदेश अप्रार्थीगण सं. 1 से 4, जो फौत हो चुके हैं, के विरुद्ध पारित किया गया है इसलिए भी यह आदेश विधि विरुद्ध है। पत्रावली में एक पंजीबद्ध विक्रय विलेख मौजूद है जिससे ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में आईदानसिंह ने अपना 1/32 वां हिस्सा अंकित करते हुए अपीलांट सं.2 मनोहरराम को जरिये उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। इससे सहखातेदार आईदानसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से तक की भूमि की खातेदारी का अंतरण विधिवत रूप से अपीलार्थी सं.2 को किया है और इसलिए वादग्रस्त भूमि में उसको आईदानसिंह के हिस्से तक की भूमि में उसकी जगह प्रतिस्थापित किया जाकर सह-खातेदार रूप में प्रविष्टि कराने का अधिकार है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी गए

पत्रावली पर वादग्रस्त भूमि ग्राम लालसागर की जमाबंदी
संवत 2071-74 के खाता सं० 42 के अनुसार ख.नं. 1123व
1146 रकबा क्रमशः 102-06 बीघा तथा 103 बीघा सहखातेदारी
की भूमि है जिसमें अपीलार्थी सं. 2 एवं 1 सहखातेदार रूप में
पूर्व से ही दर्ज है, इसका तात्पर्य है कि वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी
इस बेचान से पूर्व ही रिकॉर्डेड सहखातेदार है और इसलिए
अपीलार्थी सं. 2 पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज
काश्त है और इनके सहखातेदार आईदानसिंह के हिस्से की भूमि
पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय की है। वह अजनबी क्रेता
की श्रेणी में नहीं आता है और उसका कब्जा पूर्व से ही वादग्रस्त
भूमि के दोनों खसरों पर बतौर खातेदार है। वह इस विक्रय विलेख
का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु नामान्तरकरण
करवाकर आईदानसिंह की जगह प्रविष्ट कराने का अधिकारी है।
हिस्सों को लेकर विनिश्चय होना बाकी है लिहाजा वादग्रस्त भूमि
का आगे बेचान हस्तांतरण नहीं हो, यह उचित प्रतीत होता है।
मामले पर गहनतापूर्वक विचार करके विश्लेषण
एवं परीक्षण करने पर मामला प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन
अपीलांट के पक्ष में है। विक्रय विलेख से क्रयशुदा भूमि का राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने से अपीलांट सं. 2 को अपूरणीय
क्षति भी संभावित है, लेकिन वह अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा की आड़ में
अपने खातेदारी हकूकों से महरूम रहे यह भी उचित नहीं है। समग्र
स्थितियों के मद्देनजर एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन में
वादग्रस्त भूमि में हुए विक्रय के हिस्से का विवाद है और उसका
विनिश्चय होना शेष है इसलिए अपील अपीलांट आंशिक
रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दि. 21-5-2018,
जो सहायक कलक्टर (SDO) खींवसर द्वारा राजस्व प्रार्थना-पत्र
सं. 256/16 बनाम नरपतसिंह वगैरह बनाम आईदानसिंह वगैरह
में पारित किया है, निरस्त किया जाता है। साथ ही यह भी
आदेश दिया जाता है कि अपीलांट सं. 2 क्रयशुदा भूमि का राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद करा लेने के पश्चात वाद के निस्तारण
तक अपनी इस क्रयशुदा भूमि का आगे विक्रय/हस्तान्तरण
नहीं करे। आदेश दि. 21.5.2018 की निरस्ती के संबंध में
यह आदेश प्रत्यर्थीगण सं. 6 से 9 के विरुद्ध निष्प्रभावी रहेगा।
वाद के त्वरित निस्तारण बाबत अधीनस्थ न्यायालय में उभय
पक्ष दिनांक 8/1/2020 को उपस्थित रहे एवं प्रभावी कार्यवाही
किया जाना भी सुनिश्चित करे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो,
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की
पत्रावली आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे।
आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

[signature]